


03-10-23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं पेंसेका
राज उपस्थित। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली
का मसलौकन करने पर वादी का वादपत्र खींचा
योग्य होने के कारण खींचा किया जाता है।
निर्णय सुधक से लिखाया जाकर संलग्न किया
गया। पत्रावली बाद तरीक तम्भील होकर
दाखिल इफ्तार है।

निर्णय लिखाया जाकर जुले न्यायालय
में सुनाया गया।


(अमिता बिश्नोई)
R.A.S.